



Jharkhand Agency for Promotion of Information Technology
(An Autonomous body under Department of Information Technology, Govt. of Jharkhand)
Ground Floor, Engineer's Hostel – I, Near Golchakkar, Dhurwa, Ranchi, Jharkhand
Phone. 0651-2401040, 2401067 Fax.- 0651-2401040

Advertisement No.JAPIT/01/2014

Applications are invited from **retired persons** to fill-up the following post:-

Name of the post	No. of Post
Administrative-cum-Accounts Officer	1 (One)

Eligibility

- The candidates should be Graduate, preferably in Commerce. Preference will be given to the candidates having Post Graduate Qualification such as MBA-Finance/Chartered Accountancy/ ICWA/M.Com.
- Candidates should have atleast five years working experience as Accounts Officer/supervisory capacity or equivalent post in Central Govt/State Govt./PSUs. The incumbent is to look after the finance and administrative functions of JAP-IT and hence should have experience in accounting and financial rules/procedures of Govt. Depts and knowledge of establishment matter.
- Retired persons from Central/State Govt/Govt PSUs upto the age of 63 years with good health condition may submit their applications.
- Total emolument for the post in respect of State Govt/Central Govt retired persons is to be determined as per Govt of Jharkhand, Finance Dept Notification No.2452 dated 26-11-2011, which could also be seen at State Portal www.jharkhand.gov.in - Notices. In respect of persons, who are not getting any pension, the total monthly emolument will be Rs.25,000/- being the sanctioned emolument for the post.
- The appointment will be made on contract basis initially for a period of two years, which may be extended on performance basis.

Interested persons may send their application along with copies of certificates and one passport size photograph pasted at the top of application to Officer on Special Duty, JAP-IT, Engineers Hostel No.1, Near Goal Chakkar, PO-Dhurwa, Ranchi-834004. The applications should contain details such as (1) Name (Full in capital letters) (2) Father's Name (3) Date of Birth (4) Nationality (5) Address for correspondence (inclusive of email & Mobile/Telephone No.) (6) Permanent address (7) Whether SC/ST/OBC (8) Educational & Professional Qualification (indicating Examination passed, Year of passing, Name of University) (9) Details of experience giving details reg. Employer, Post held, salary drawn, period, nature of duties performed (10) Knowledge of computer skills/operation (11) Languages known and proficiency level.

Last date of receipt of application is **25-6-2014**.

Sd/-
(N. N. Sinha)
Principal Secretary, IT-cum-CEO, JAP-IT

संकल्प

विषय : संविदा के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मानदेय एवं सुविधाओं के संबंध में।

वित्त विभाग के पत्र संख्या 4569/वि०, दिनांक 05.07.2002 के द्वारा राज्य में संविदा के आधार पर नियुक्त हेतु एक विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत परिचारित है। वित्त विभाग के पत्र संख्या 60/वि०, दिनांक 08.01.2003 के अनुसार "यदि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी को संविदा पर नियुक्त किया जाता है तो उन्हें प्राप्त अंतिम वेतन घटाव पेंशन के समतुल्य राशि नियत मानदेय के रूप में अनुमान्य होगा।" संविदा पर कार्यरत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी, जिन्हें प्राप्त अंतिम वेतन घटाव पेंशन के समतुल्य राशि नियत मानदेय अनुमान्य है, को महँगाई भत्ता अनुमान्यता के बिन्दु पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस संबंध में कतिपय विभाग से बार-बार मार्गदर्शन की अपेक्षा की जा रही है कि अनुमान्य नियत मानदेय की राशि पर सरकार द्वारा समय-समय पर राज्य कर्मियों के लिये लागू महँगाई भत्ता तथा मकान किराया भत्ता अनुमान्य होगा अथवा नहीं।

2. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त पृष्ठभूमि को दृष्टिपथ रखते हुए सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति की स्थिति में निम्न रूप में मासिक संविदा राशि एवं अन्य सुविधाओं को लागू करने का निर्णय लिया गया है :-

- (क) सेवानिवृत्त के समय प्राप्त मूल वेतन घटाव पेंशन के समतुल्य नियत मासिक मानदेय की राशि अनुमान्य होगा।
- (ख) उक्त नियत मानदेय राशि पर सरकार द्वारा समय-समय पर लागू महँगाई भत्ता देय होगा, किन्तु वार्षिक वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं होगा।
- (ग) सेवानिवृत्त ऐसे कर्मी, जिन्हें सरकार द्वारा संविदा पर नियुक्त किया जाता है और वे सरकार द्वारा आवंटित आवास में नहीं रहते हैं, तो उन्हें वर्गीकृत शहर के अनुसार नियत मासिक मानदेय पर आवास किराया भत्ता अनुमान्य होगा।

3. यह प्रावधान सेवानिवृत्त झारखण्ड राज्य के बोर्ड/निगम/निकाय कर्मियों के मामले पर भी लागू होगा, जिनकी पदसंरचना, वेतनमान एवं सेवाशर्त राज्य सरकार के कर्मी की तरह है।

4. पूर्व में निर्गत वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 60/वि०, दिनांक 08.01.2003 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

5. यह आदेश संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

(Handwritten Signature)

